

तार : 'फूडकोर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
००६९९९२३४९३२४९
००६९९९२३४९३९६२

भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Headquarters
New Delhi

Fax No. : HFCI ND
00911123413241
00911123413162

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००१, दूरभाष : ४३५२७६६७, ४३५२७६६८
16-20, BARAKHAMBHA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 43527697, 43527698

No.फैप/84/पीएफएमएस/2019

दिनांक: 15.01.2020

परिपत्र सं. फैप/30/2020

पीएफएमएस का फैप के साथ एकीकरण

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय ने भा.खा.नि. को पीएफएमएस योजना के भा.खा.नि. फैप के साथ एकीकरण का निर्देश दिया है | आवश्यकतानुसार, पीएफएमएस प्रणाली 3050 के अंतर्गत भा.खा.नि. द्वारा भुगतान से संबंधित तैयार किए गए आंकड़ों को पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत "कार्यान्वयन एजेंसियों (Implementing Agencies)" या "विक्रेताओं"(Vendor) अर्थात अन्य Suppliers के बीच अलग-अलग किया जाना आवश्यक है | मंत्रालय द्वारा जांच करने हेतु "कार्यान्वयन एजेंसियों (IA)" को किए गए भुगतान को 'अंतरण'(transfer) और "Vendor" को किए गए भुगतान को 'व्यय'(expenditure) के रूप में दर्शाया जाना है | अतः सभी फैप में बनाए गए Suppliers का "कार्यान्वयन एजेंसियों (IA)" या "Vendor" के रूप में वर्गीकरण प्राथमिक महत्व का है और यह बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए चूंकि यह फैप डाटा को "अंतरण"(transfer) अथवा 'व्यय'(expenditure) के रूप में पीएफएमएस के लिए दर्शाने हेतु निर्णायक कारक है |

एफएपी AP मॉड्यूल में Suppliers फॉर्म के अंतर्गत DFF 'organization' टैब लेवल पर पीएफएमएस "Payee" टाइप अर्थात "कार्यान्वयन एजेंसियों (IA)" या "Vendor" को दर्ज करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया गया है | DFF में Drop Down विकल्प उपलब्ध कराया गया है जिससे फैप Suppliers को "कार्यान्वयन एजेंसियों (IA)" या "Vendor" में वर्गीकृत कर सके तथा इसके साथ साथ पीएफएमएस IA/Vendor कोड दर्ज कर सके | इसके साथ ही निम्नलिखित तीन फील्ड भी उपलब्ध कराई गयी हैं :-

- पीएफएमएस Vendor टाइप:- सभी Suppliers को "commercial" के रूप में चिन्हित किया गया है, यूसर्स को भविष्य में नए Suppliers तैयार करने हेतु हुए समान चिन्ह का प्रयोग करना होगा |
- राज्य एलजीडी कोड:- सभी मौजूदा Suppliers के लिए राज्य कोड उनके मौजूदा राज्य के एकक कार्यालय के आधार पर चिन्हित किया गया है, जिसके अंतर्गत Supplier आता है |

यूजर्स को उसकी जांच करनी होगी यदि यूजर्स को पते में कोई विसंगति मिलती है तो यूजर्स उसे फैंप वैबसाइट के लाइब्ररी सेक्शन के अंतर्गत पीएफ़एमएस स्टेट एलजीडी कोड मास्टर फ़ाइल अपलोडेड/उपलब्ध का प्रयोग कर राज्य कोड बदल/अपडेट कर सकता है |

- iii. जिला एलजीडी कोड:- सभी मौजूदा Suppliers के लिए जिला कोड जिला के एकक कार्यालय के आधार पर किया गया है जिसके अंतर्गत Supplier आता है | यूजर्स को उसकी जांच करनी होगी यदि यूजर्स को पते में कोई विसंगति मिलती है तो यूजर्स उसे फैंप वैबसाइट के लाइब्ररी सेक्शन के अंतर्गत पीएफ़एमएस स्टेट एलजीडी कोड मास्टर फ़ाइल अपलोडेड/उपलब्ध का प्रयोग कर राज्य कोड बदल/अपडेट कर सकता है |

पीएफ़एमएस में डाटा भरते हुए बैंक ब्योरे, सप्लायर का प्रकार, सप्लायर कोड(IA अथवा Vendor) का भरा जाना अत्यावश्यक है | बैंक ब्योरे जैसे की बैंक खाता संख्या, IAफ़एससी कोड न केवल अनिवार्य है बल्कि इसका पीएफ़एमएस पोर्टल के साथ Sync किया जाना भी अनिवार्य है | अतः यूजर्स द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफ़एपी पर उपलब्ध बैंक ब्योरा सही/प्रामाणिक है और पीएफ़एमएस के साथ Sync है | यदि कोई अनिवार्य फ़िल्ड खाली रह जाता है, तो डाटा एफ़एपी से पीएफ़एमएस में शेयर नहीं होगा और यदि एफ़एपी के बैंक ब्योरे पीएफ़एमएस के साथ Sync नहीं है तो शेयर किया गया डाटा पीएफ़एमएस द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा | पीएफ़एमएस पोर्टल पर पंजीकृत एफ़एपी प्रभाग सभी कार्यान्वयन एजेंसियों(IA) का डाटा 3050 स्कीम के लिए प्राप्त करेगा और बैंक खाता संख्या और आईएफ़एस कोड के आधार पर एफ़एपी Supplier के साथ Map किया जाएगा | एफ़एपी में लगभग 1000 सप्लायर का वर्गीकरण तथा मार्किंग “कार्यान्वयन एजेंसियों” (IA) के रूप में किया गया है और IA कोड के रूप में दर्शाया गया है |

एफ़एपी प्रभाग ने पीएफ़एमएस से एकीकरण संबंधी आवश्यकता के संबंध में एफ़एपी में उपलब्ध डाटा की पुनः समीक्षा की और निम्नलिखित समस्याएँ सामने आयी :-

- i. बैंक ब्रांच में खाली/गलत IAफ़एससी कोड: यूजर्स द्वारा आईएफ़एस कोड भरा जाना/ठीक किया जाना आवश्यक है |
- ii. Suppliers में रिक्त बैंक ब्योरा: यूजर्स द्वारा सभी Suppliers का बैंक ब्योरा अपडेट किया जाना आवश्यक है |
- iii. पीएफ़एमएस में पंजीकृत प्रत्येक IA जो की एफ़एपी में निर्मित/उपलब्ध नहीं है : यूजर्स एफ़एपी Suppliers को तैयार करेगा और पंजीकृत पीएफ़एमएस IA के साथ Map करेगा | यूजर्स सुनिश्चित करेगा की सभी निर्मित/प्रयोज्य IA उनके संबंधित कार्यालयों के साथ एक के साथ एक आधार पर Map किए जाएंगे जिसमें पीएफ़एमएस पेयी टाइप और पीएफ़एमएस IA कोड का प्रयोग किया जाएगा |

डाटा सत्यापन, संशोधन और IA मार्किंग संबंधी उक्त गतिविधि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 28 जनवरी 2020 तक किया जाना है, इसके पश्चात एफएपी प्रभाग यह मान लेगा कि एफएपी में छुट गए Suppliers(यूसर्स द्वारा IA के रूप में चिन्हित नहीं किए गए) Vendor है | ऐसे सभी Vendor के रिकॉर्ड जिनकी पूर्ण एवं अनिवार्य जानकारी उपलब्ध है, उनकी एफएपी पीएफएमएस पोर्टल पर Vendor के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ करेगा | पीएफएमएस से प्राप्त होने पर एफएपी द्वारा Suppliers form में पीएफएमएस Vendor कोड अपडेट करेगा |

अतः एफएपी में Supplier निर्मित करते हुए यूजर्स निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा:-

- i. IA के लिए :- यूजर पहले पीएफएमएस पोर्टल पर IA पंजीकृत करेगा और इसके बाद एफएपी में Supplier को IA के रूप में वर्गीकृत करेगा और अन्य विवरण के साथ पीएफएमएस IA कोड डालेगा | (Unique Agency Code for Vendors)
- ii. Vendor के लिए :- यूजर एफएपी में Supplier तैयार करेगा, उसे Vendor के रूप में वर्गीकृत करेगा और Vendor कोड दर्ज करेगा कि "Not yet Issued" | एफएपी प्रणाली Vendor पंजीकरण के लिए पीएफएमएस को विवरण भेज देगी और पीएफएमएस Vendor कोड भी पीएफएमएस से प्राप्त होने पर एफएपी द्वारा Supplier में अपडेट किया जाएगा |

इसके अतिरिक्त, सिस्टम यूजर को उन Supplier के पक्ष में एफएपी में इन्वाइस जारी नहीं करने देगा जिनके बैंक विवरण अधूरे हैं |

यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में एफएपी एक्सेल(Excel) रिपोर्ट के माध्यम से पीएफएमएस uploading मुख्यालय के अग्रिम निर्देश आने तक जारी रहेगी |

Sd/-

(अमित अग्रवाल)
उप महाप्रबंधक (एफएपी)

वितरण :

1. मुख्य महाप्रबंधक(निधि/वित्त/लेखा/लेखा परीक्षा), भा.खा.नि. मुख्यालय
2. सभी महाप्रबंधक(एफ&ए), भा.खा.नि., आंचलिक कार्यालय (नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एवं नॉर्थ ईस्ट)
3. सभी महाप्रबंधक(क्षेत्र), भा.खा.नि., क्षेत्रीय कार्यालय
4. सभी मण्डल प्रबन्धक, सभी महाप्रबंधक(एफ&ए), भा.खा.नि., मण्डल कार्यालय
5. निदेशक, IAफएस, गुडगाँव, हरयाणा
6. गौर्ड फाइल